न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 116/2016 **दायरा दिनांक : 09.03.2016**

उनवान

1– रामपाल पुत्र श्री हीरालाल, आयु 55 वर्ष, जाति मीणा, निवासी गोपालपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– चांदमल पुत्र श्री रामपाल, आयु 27 वर्ष, जाति मीणा, निवासी गोपालपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– रामप्रसादी पत्नी श्री रामपाल, आयु 50 वर्ष, जाति मीणा, निवासी गोपालपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– उदालाल पुत्र श्री छगना, जाति मीणा, निवासी गोपालपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– कन्या बाई बेवा सूरजमल पुत्री श्री छगना जाति मीणा, निवासी हिंगोनिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– सीता बाई पत्नी श्री धन्नालाल पुत्री श्री छगना, जाति मीणा, निवासी सारंगपुर, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

4– कस्तूरी पत्नी देवकरण पुत्री श्री छगना, जाति मीणा, निवासी बृजनगर, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.09.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 161/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08..2008 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उदा एवं अन्य द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम गोपालपुरा की भूमि खसरा नम्बर 8/2 खाता संख्या 86 रकबा 15 बीघा स्थित है जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 14.08.2007 से 2 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है एवं रेस्पोडेंट की खातेदारी काश्त में दखल अन्दाजी कर रहे हैं । अतः अपीलांट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत दावा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में एक पक्षीय बहस सुनते हुए निर्णय पारित किया गया एवं अपीलांट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी पर दखल अन्दाजी करने हेतु पाबन्द किया गया । उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.02.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि 35 वर्ष पूर्व अपीलांट क्रम 1 को खसरा नम्बर 8 की 5 बीघा आराजी आवंटित हुई थी । आवंटन उपरान्त अपीलांट क्रम 1 को हाल खसरा नम्बर 12 से लगवा पूर्वी व दक्षिणी जमीन पर दखल दिया गया था, तब से अपीलांट का उपरोक्त आराजी पर कब्जा है एवं काश्त कर रहे हैं परन्तु खसरा नम्बर 8 की आवंटित आराजियात का नक्शाट्रेस कायम करते समय राजस्व कर्मचारियों ने नक्शाट्रेस में गलत तरमीम दर्ज की जिसका वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है । अतः अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय का जो बेदखली का आदेश पारित हुआ है उसे निरस्त फरमाया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि खाता संख्या 86 खसरा नम्बर 8/2 रकबा 15 बीघा रेस्पोडेंट को विरासत से प्राप्त हुई है जिसका इंतकाल नम्बर 227 है । रेस्पोडेंट का उस पर कब्जा है तथा रेस्पोडेंट ही उसके खातेदार काश्तकार है । अपीलांट द्वारा 8 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री को खारिज करने का जो दावा पेश किया गया है वह गलत है । अतः अपीलांट का डिले कन्डोन करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा बहस में जो कथन किया गया है उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं । रेस्पोडेंट खाता संख्या 86 खसरा नम्बर 8/2 के खातेदार काश्तकार हैं । अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन करने के सम्बन्ध में भी कोई उचित कारण नहीं दिया गया है तथा राजस्व मण्डल की फुल बैंच में निर्णय दिनांक 30.08.2018 उनवान सरजू राव बनाम अमृत लाल अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा वगैरह के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को विधि सम्मत तलबी की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2007 जो अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया है एवं अपीलांट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है रेस्पोडेंट के खातेदारी अधिकारो की नजर अन्दाजी करने हेतु पाबन्द किया गया है वह उचित है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई दलख अन्दाजी करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2008 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा